



Neutral Citation No. - 2026:AHC:10619

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 28869 वर्ष 2025

सुमन

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : अथर्व दीक्षित, मयंक चन्द्रा, शक्ति दूबे, सूर्य प्रताप सिंह, विनय कुमार त्रिपाठी

विपक्षी (गण की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री मनीष तिवारी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता जो श्री सूर्य प्रताप सिंह, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त हैं, तथा श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया एवं अभिलेख पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 163 वर्ष 2025, धाराओं 123 एवं 103(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना - बरखेड़ा, जिला - पीलीभीत में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहती है।
4. अभियोजन कहानी के अनुसार, आवेदक के पुत्र, अर्थात् सूरज द्वारा सूचनाकर्ता की नाबालिग बहन को बलपूर्वक अपने घर ले जाना बताया गया है, जिस पर आवेदक द्वारा उसे किसी विषाक्त पदार्थ मिला दूध पिलाने का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी हालत बिगड़ गई। पुलिस की सहायता से सूचनाकर्ता की बहन को सरकारी अस्पताल, बरखेड़ा में भर्ती कराया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि उक्त घटना से पूर्व दिनांक



27.05.2025 को मृतका के साथ आवेदक के पुत्र एवं उसके मित्रों द्वारा कथित रूप से बलात्कार किया गया था।

5. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में असत्य रूप से फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जहाँ तक बलात्कार की घटना का संबंध है, प्रथम सूचना रिपोर्ट पाँच दिन से अधिक विलंब से दर्ज की गई है और इस विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि पीड़िता ने कथित बलात्कार की घटना के संबंध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की जहमत नहीं उठाई। तत्पश्चात, आवेदक पर विष मिला दूध पिलाने का मिथ्या एवं गढ़ा हुआ आरोप थोपा गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि पीड़िता ने भय या पश्चाताप के कारण आत्महत्या की होगी। जहाँ तक अपहरण और विष मिला दूध पिलाने के आरोप का संबंध है, प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग आठ घंटे के विलंब से दर्ज की गई है, जो अस्पष्ट है, अतः सम्पूर्ण अभियोजन कहानी झूठी, मिथ्या एवं गढ़ी हुई है।
7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक दिनांक 4.6.2025 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और विचारण में सहयोग करेगी।
8. इसके विपरीत, विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का बलपूर्वक विरोध किया है परंतु आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाए गए कथनों तथा आवेदक के कोई आपराधिक इतिहास न होने के तथ्य को विवादित नहीं कर सके।
9. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए कथनों, अपराध की प्रकृति, दंड की गंभीरता, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष या ठोस साक्ष्य नहीं है, प्रथम दृष्टया मुझे यह मामला आवेदक को जमानत पर रिहा करने योग्य प्रतीत होता है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
10. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक - **सुमन** को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक उतनी ही राशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर



निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगी/उन्हें भयभीत नहीं करेगी।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी।

11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

16 जनवरी, 2026

सिद्धांत